

समाचार प्रकाशनार्थरू.

नगर निगम उठायेगा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सामग्री
सिविक सेंटर में बनाया निर्माण एवं विध्वंस सामग्री केन्द्र नागरिक मो०नं०
7471144078 पर करें संपर्क

रतलाम 3 मार्च । निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सामग्री के नियमानुसार निशपादन हेतु नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। नागरिक मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन 2^{०0} के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। भवन निर्माण कर्ता भवन निर्माण अपशिष्ट सामग्री कांक्रीटए ईंटए मुरमए मलबाए स्टीलए लकड़ीए प्लास्टिकए मोर्टरए साइल आदि को मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते हैं।

रांगोली से दिया नागरिकों को स्वच्छता का संदेश

रतलाम 3 मार्च । नगर के नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किये जाने हेतु नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर के विभिन्न चौराहोंए सार्वजनिक स्थलोंए शासकीय भवनों आदि पर स्वच्छता का संदेश देने वाली रांगोली बनाई जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगर को साफ स्वच्छ बनाने हेतु नगर निगम तो अपना कार्य कर ही रहा है रतलाम नगर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में नम्बर 1 तभी बनाया जा सकता है जब नगर के नागरिकों की इसमें

सहभागिता हो। इस कार्य में आम नागरिकों की सहभागिता व जागरूकता हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर रांगोली बनाकर स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है।

भवन निर्माण सामग्री व मलबा फैलाने पर 3 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 3 मार्च । नगर में ऐसे भवन निर्माणकर्ता जो कि भवन निर्माण सामग्री व मलबा फैलाकर अतिक्रमण करते हैं उन पर कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार जुर्माने की कार्यवाही कर सामग्री जब्त की जा रही है जिसके तहत 3 मार्च बुधवार को 3 व्यक्तियों पर जुर्माना कर सामग्री जब्त की गई। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार 03 मार्च बुधवार को रक्षाजी कस्तुरबा नगर ए मदनलाल पंचाल निराला नगर व विनित मार्बल साक्षी पेट्रोल पम्प पर निर्माण सामग्री व मलबा फैलाने पर 1000.1000 की राशि का जुर्माना कर सामग्री जब्त की गई।

अंकुर अभियान के तहत विभिन्न उद्यानों में 1215 पौधों का किया रोपण
पौधा रोपण के फोटो अंकुर एप पर डाउनलोड किये

रतलाम 03 मार्च । प्राण वायु हेतु शासन द्वारा 1 से 5 मार्च तक चलाये जा रहे अंकुर अभियान के तहत नगर निगम रतलाम द्वारा तीन दिवस में 1215 पौधों का रोपण नगर के विभिन्न उद्यानों में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में किया जाकर रोपे गये पौधों के फोटो को अंकुर एप पर डाउनलोड किया गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि शासन द्वारा चलाये जा रहे अंकुर अभियान के तहत 3 मार्च गुरुवार को जनता कालोनी ए जवाहर नगर ए ग्लोबस सिटी ए ग्लोबस टाउनशिप ए डोंगरे नगर ए मोहन नगर ए शुभम्श्री ए डोंगरे नगर ए गढ़ कैलाश ए वेदव्यास कालोनी ए खेतलपुर पानी की टंकी सहित अन्य उद्यानों में

शीशमए केशियाए गुड़हलए नीमए करंजए अमलतासए कनेर आदि प्रजातियो का पौधा रोपण करते हुए 300 पौधो का रोपण किया गया।

नगर निगम के विभिन्न करों से 15^ए53 लाख राजस्व प्राप्त हुआ

रतलाम 03 मार्च । संपत्तिकरए जलकरए लायसेंसए राजस्वए विकास शाखाए बिल्डिंग परमिशन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करो के तहत 03 मार्च गुरुवार को कुल राशि रुपये 15^ए53^ए314^ए का राजस्व प्राप्त हुआ।

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 03 मार्च गुरुवार को संपत्तिकर भिविर से 245000^ए कार्यालय 318933^ए वसूली दल 543874 कुल 1107807^ए जलकर भिविर 68530^ए कार्यालय 124790^ए वसूली दल 44140 कुल 237460^ए दुकान गुमटी किराया कार्यालय 27988^ए वसूली दल 162348 कुल 190336^ए स्पॉट फाईन 16650^ए लायसेंस 1500 इस तरह कुल राशि रुपये 15^ए53^ए753^ए का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

कचराए गंदगीए अतिक्रमण करने पर 16 व्यक्तियों पर जुर्माना

जुर्माने के रूप में 4^ए250^ए राशि वसूली

रतलाम 03 मार्च । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैंए मलबा डालकर अतिक्रमण करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 03 मार्च बुधवार को 16 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार कचराए गंदगीए अतिक्रमण करने पर आनन्द परमारए गर्ल्स हॉस्टल काटजू नगरए निखिल टांक पर 500.500^ए शौकत पर 400^ए सुरभी रेस्टोरेंट बाजना बस स्टैंड पर 250^ए कुमावत किरानाए अग्रवाल किरानाए रिवए शुभम् किरानाए साईराज रेस्टोरेंटए ममता फोटो स्टूडियोए राहूल रेस्टोरेंटए पारस जैनए चन्द्रवाहनए महेश पर 200.200 व हर्षद पर 100 रुपये का स्पॉट फाईन किया गया।

नेशनल लोक अदालत का 12 मार्च शनिवार को आयोजन

संपत्तिकर एवं जलकर की बकाया राशि जमा करने पर अधिभार ,सरचार्जद्ध की राशि में छूट

बकायादार 2 स्थानों पर जमा करा सकेंगे बकाया राशि

रतलाम 03 मार्च । राश्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य शासन के निर्देशानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार ,सरचार्जद्ध में छूट देने हेतु 12 मार्च 2022 शनिवार को नेशनल लोक अदालत के तहत बकाया राशि जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में शिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है।

आयोजित नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 50ए000६ ,रुपये पचास हजारद्ध तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 10ए000६ ,रुपये दस हजारद्ध तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 50ए000६ ,रुपये पचास हजारद्ध से अधिक तथा रुपये 1ए00ए000६ ,रुपये एक लाखद्ध तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 10ए000६ से अधिक तथा रुपये 50ए000६ तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 1ए00ए000६ ,रुपये एक लाखद्ध से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 50ए000६ से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट।

उक्त छूट मात्र एक बार ,व्दम ज्पउम ैमजजसमउमदजद्ध ही दी जायेगी। यह छूट वर्ष 2020.21 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। यह छूट मात्र दिनांक 12th 03rd 2022 की नेशनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी।

नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की जाती है कि 12 मार्च 2022 शनिवार को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार ,सरचार्जद्ध में छूट का लाभ उठावें।

3 मार्च को 81 टन कचरा जुलवानिया पंहुचा

रतलाम 03 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टे^a चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया जा रहा है जिसके तहत 03 मार्च गुरुवार को 81 टन कचरा जुलवानिया टे^a चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया गया।

03 मार्च गुरुवार को डम्पर से 19875ए टे^a कटर से 16580ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 28905ए काम्पेक्टर गीला कचरा 15875 किलो इस तरह कुल 81235 किलो कचरा जुलवानिया टे^a चिंग ग्राउण्ड पंहुचाया गया।

16 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा

दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन

बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होंगे सेवा से बर्खास्त

रतलाम 03 मार्च । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार वार्डों में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डों में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके

तहत प्रातः 13 व दोपहर की शिफ्ट में 3 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तधनिलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की शिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की शिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

03 मार्च गुरुवार को वार्डों में सफाई मित्रों की उपस्थिति के दौरान प्रातः झोन क्रमांक 1 में मनोज.देवकरण, रानीबाई पति आजाद, अजय.विनोद, सुरेन्द्र.नेहरू, रामकुमार.बच्चराम, अभिशेक.विनोद, झोन क्रमांक 2 में संजय.बच्चू, झोन क्रमांक 3 में जितेन्द्र.ईश्वर, विकास.गोवर्धन, निर्मल.अशोक, झोन क्रमांक 4 में जितेन्द्र.ईश्वर, कैलाश.जगराम, संदीप.सुरेश, दोपहर झोन क्रमांक 2 में गीताबाई पति ओमप्रकाश, झोन क्रमांक 3 में संजय.हरिलाल, अर्जून.नाथुलाल इस तरह 16 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तधनिलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते हैं उन्हें सेवा से बर्खास्तधनिलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

रात्रीकालिन सफाई के 4 सफाई मित्रों का 1 दिवस का वेतन काटा
सेवा से बर्खास्त किये जाने का जारी किया कारण बताओ सूचना.पत्र
तीन दिवस तक बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारी होंगे बर्खास्त

रतलाम 03 मार्च । शहर को साफ.स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगर की 4 व 2 लेन सड़क, मुख्य सड़क, व्यावसायिक क्षेत्र, प्रमुख चौराहे, उद्यान आदि की रात्रीकालिन सफाई हेतु नियुक्त 100 सफाई मित्रों में से 3 सफाई मित्रों द्वारा 02

मार्च बुधवार को बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार 1 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था के तहत 02 मार्च बुधवार को राहूल राजकुमार ए आकाष कुंदन ए नरेन्द्र नवीन व रवि मुकेश द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर 1 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। बिना सूचना के लगातार तीन दिवस अनुपस्थित रहने वाले सफाई मित्रों को सेवा से बर्खास्त किया जायेगा।

100 माईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित

रतलाम 03 मार्च । रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक ,प्लास्टिक स्टीक सहित ईयर बर्ड ए बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिक ए प्लास्टिक झण्डे ए कैंडी स्टिक ए आईस्क्रीम स्टीक ए सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोल ए प्लास्टिक प्लेट्स ए कप ए ग्लास ए फोर्क ए चम्मच ए चाकू ए स्ट्रॉ ए टे^a ए स्वीट बाक्स ए निमंत्रण पत्र ए सिगरेट पैकेट को कव्हर करने वाली पैकिंग फिल्म ए प्लास्टिक स्टिर्स व 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीबीसी के बैनरद्ध के उपयोग को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। रतलाम नगर के समस्त प्लास्टिक ,पॉलीथीनद्ध निर्माता ए भण्डारकर्ता ए विक्रेता ए दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एव ंना ही भण्डारण ए विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छ सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

श्वान पालकों को अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करायें रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर संबंधित के विरुद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही रतलाम 03 मार्च । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में श्वान पालते हैं वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस शाख में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत श्वान पालकों द्वारा अपने श्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा श्वान की भांति छोड़ दिया जाा ह तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे श्वानों एवं श्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे श्वान पालक जिन्होंने अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन्हें नगर निगम द्वारा सूचना पत्र जारी किये जा रहे है रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले श्वान पालकों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

श्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस शाखा में प्रति श्वान पंजीयन शुल्क रुपये 1000₹ एवं लायसेंस शुल्क रुपये 500₹ प्रति श्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष 100₹ रुपये जमा कराना होगा। श्वान पालकों को अधिकतम् 2 श्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा प्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने प्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस शाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने प्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

बकाया वसूली शिविरों में नागरिकों ने संपत्तिकर 97^{७88} लाख व जलकर 25^{७68} लाख की बकाया राशि जमा कराई

रतलाम 03 मार्च । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार आयोजित बकाया वसूली शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 97^{७88} लाख व जलकर 25^{७68} लाख की राशि जमा कराई।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 3^{२8२८22६} व जलकर 54^{८50६९} मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1^{६2२575६} व जलकर 34^{५20६९} जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 3^{०2२013६} व जलकर 63^{९450६९} विनोबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1^{८5२292६} व जलकर 1^{९19९720६९} अलकापुरी कम्युनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 3^{२0२८57६} व जलकर 62^{९950६९} तिरूपति नगर शिविर में संपत्तिकर 1^{२8२९77६} व जलकर 28^{८70६९} कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 2^{१6२000६} व जलकर 14^{२000६९} इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पास शिविर में संपत्तिकर 2^{५1२600६} व जलकर 1^{०4२640६९} कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 8^{६1२206६} व जलकर 1^{२1२090६९} प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 2^{१4२000६} व जलकर 47^{२000६९} डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 2^{५4२422६} व जलकर 83^{९700६९} हाट रोड शिविर में संपत्तिकर 1^{९71२500६} व जलकर 27^{२540६९} कलीमी कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1^{९96२81६} व जलकर 40^{२40६९} राजेन्द्र नगर शिविर में संपत्तिकर 1^{९45२000६} व जलकर 31^{९760६९}

काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 3ए36ए077६ व जलकर 72ए440६.ए वेदव्यास कालोनी शिविर में संपत्तिकर 98ए534६ व जलकर 37ए465६.ए कल्याण नगर शिविर में संपत्तिकर 87ए732६ व जलकर 36ए660६.ए दीनदयाल नगर शिविर में संपत्तिकर 2ए91ए455६ व जलकर 92ए125६.ए बोहरा बाखल शिविर में संपत्तिकर 4ए97ए298६ व जलकर 64ए770६.ए रामगढ़ शिविर में संपत्तिकर 1ए59ए241६ व जलकर 28ए140६.ए लक्कड़पीठा शिविर में संपत्तिकर 6ए11ए920६ व जलकर 1ए56ए600६.ए धानमण्डी शिविर में संपत्तिकर 3ए60ए338६ व जलकर 1ए67ए280६.ए किरण टॉकिज शिविर में संपत्तिकर 3ए89ए541६ व जलकर 76ए625६.ए आनन्द कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1ए20ए807६ व जलकर 37ए520६.ए प्रताप नगर शिविर में संपत्तिकर 1ए91ए836६ व जलकर 72ए860६.ए महावीर नगर शिविर में संपत्तिकर 87ए741६ व जलकर 37ए140६. पैलेस रोड शिविर में संपत्तिकर 2ए81ए036६ व जलकर 89ए570६.ए चौगानिया भैरु मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 91ए157६ व जलकर 46ए510६.ए सायर चबुतरा शिविर में संपत्तिकर 1ए62ए036६ व जलकर 1ए05ए060६.ए चौमुखी पुल शिविर में संपत्तिकर 5ए20ए421६ व जलकर 1ए62ए610६.ए बजाजखाना शिविर में संपत्तिकर 3ए19ए606६ व जलकर 98ए030६.ए शास्त्रीनगर शिविर में संपत्तिकर 4ए48ए489६ व जलकर 1ए10ए940६.ए दो बत्ती शिविर में संपत्तिकर 2ए88ए212६ व जलकर 77ए175६.ए दिलबहार चौराहा शिविर में संपत्तिकर 5ए41ए446६ व जलकर 2ए00ए400६ की राशि जमा कराई।

3141 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 112 हितग्राही हुए लाभान्वित पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 03 मार्च । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हें प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम

कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हें संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 2636 हितग्राहियों को राशि रुपये 10ए000६ तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु 205९ हितग्राहियों को राशि रुपये 20ए000६ ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 107 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 5 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रुपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 03 मार्च । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हें तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रुपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रुपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 03 मार्च । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 03 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्राइवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्राइवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 03 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डों की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारजसंविण्हेमन्तध03ण03ण2022धनणपाणनिगमए रतलामण